



# CHHATTISGARH SWAMI VIVEKANAND TECHNICAL UNIVERSITY, BHILAI

## छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई

क्रमांक / .....1841..... / छस्वावितवि / सू.प्र. / 19

भिलाई, दिनांक : 20/6/19

प्रति,

प्राचार्य

(समस्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय / पालीटेक्निक संस्थाएँ)

**विषय:** इंजीनियरिंग एवं डिप्लोमा इंजीनियरिंग के तृतीय सेमेस्टर में Internal Counselling करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत इंजीनियरिंग एवं डिप्लोमा इंजीनियरिंग के तृतीय सेमेस्टर में ब्रांच परिवर्तन के लिए Internal Counselling की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2019 निर्धारित की जाती है। ब्रांच परिवर्तित विद्यार्थियों की सूची दिनांक 22 जुलाई 2019 तक अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालय में जमा करें।

उपरोक्त निर्धारित तिथि उपरांत कोई भी सूची स्वीकार नहीं की जावेगी।

20/6/19  
कुलसचिव  
छस्वावितवि, भिलाई

**प्रतिलिपि :**

1. संचालक, संचालनालय तकनीकी शिक्षा, अटल नगर रायपुर (छत्तीसगढ़)
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, (सूचना विभाग) छस्वावितवि, भिलाई।
3. निज सहायक, माननीय कुलपति महोदय छस्वावितवि, भिलाई।
4. मास्टर फाइल।



# CHHATTISGARH SWAMI VIVEKANAND TECHNICAL UNIVERSITY, BHILAI

## छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई

क्रमांक / १८५० / छस्वावितवि / सू.प्र. / १९

भिलाई, दिनांक : २०/६/१९

प्रति,

प्राचार्य

(समस्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय / पालीटेक्निक संस्थाएँ)

**विषय:** राज्य में स्थित तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण एवं विश्वविद्यालय स्थानांतरण के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत इंजीनियरिंग के तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर तथा डिप्लोमा इंजीनियरिंग के तृतीय सेमेस्टर में कॉलेज स्थानांतरण के लिये T1 एवं T2 विश्वविद्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि ३० जुलाई २०१९ निर्धारित की जाती है। निर्धारित तिथि पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

Internal Counselling की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ही छात्रों को T2 प्रदान किया जावे।

राज्य एवं राज्य के बाहर स्थित अन्य विश्वविद्यालय से इस विश्वविद्यालय में स्थानांतरण हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि ३१ जुलाई २०१९ निर्धारित की जाती है।

१८५०  
कुलसचिव  
छस्वावितवि, भिलाई  
२०/६/१९

प्रतिलिपि :

- संचालक, संचालनालय तकनीकी शिक्षा, अटल नगर रायपुर (छत्तीसगढ़)
- विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी, (सूचना विभाग) छस्वावितवि, भिलाई।
- निज सहायक, माननीय कुलपति महोदय छस्वावितवि, भिलाई।
- मास्टर फाइल।

छत्तीसगढ़ शासन  
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा  
एवं रोजगार विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 11/02/2019

क्रमांक : एफ 9-37/2019/तक.शि./42

प्रति,

संचालक,  
तकनीकी शिक्षा संचालनालय  
इंद्रावती भवन, अटल नगर,  
रायपुर (छत्तीसगढ़)

तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों के ब्रांच परिवर्तन एवं एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण के संबंध में नीति में आंशिक संशोधन बाबत।

—०००—


राज्य शासन एतद्वारा राज्य में स्थित तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों के एक संस्था से दूसरी संस्था में अध्ययनरत छात्रों के लिए प्रथम सेमेस्टर में स्थानांतरण नीति में निम्नानुसार आंशिक संशोधन हेतु सहमति प्रदान करता है :-

संस्था में स्थानांतरण के संबंध में पूर्व प्रचलित स्थानांतरण नीति में निम्नानुसार आंशिक संशोधन हेतु सहमति प्रदान करता है :-

क्र	पूर्व प्रचलित नीति	आंशिक संशोधन
1	विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक सम्बद्ध संस्था से दूसरी संबद्ध संस्था में स्थानांतरण के मामले में पॉलीटेक्निकों के तृतीय सेमेस्टर में स्थानांतरण के लिए प्रथम सेमेस्टर में उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता नहीं होगी।	विश्वविद्यालय से सम्बद्ध पॉलीटेक्निक संस्थाओं में तृतीय सेमेस्टर में ब्रांच परिवर्तन अथवा एक सम्बद्ध संस्था से दूसरी संबद्ध संस्था में तृतीय सेमेस्टर में स्थानांतरण के लिए प्रथम सेमेस्टर में उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता नहीं होगी।
2	विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक सम्बद्ध संस्था से दूसरी संबद्ध संस्था में स्थानांतरण के मामले में इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में तृतीय सेमेस्टर में स्थानांतरण के लिए प्रथम सेमेस्टर एवं पंचम सेमेस्टर में स्थानांतरण के लिए प्रथम सेमेस्टर एवं पंचम सेमेस्टर में स्थानांतरण के लिए प्रथम सेमेस्टर एवं पंचम सेमेस्टर में स्थानांतरण के लिए प्रथम सेमेस्टर एवं तृतीय सेमेस्टर उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता नहीं होगी। बैकलॉग विद्यार्थियों के मेरिट निर्धारण की शर्तें विश्वविद्यालय द्वारा तय की जावेगी। स्थानांतरण नीति की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।	विश्वविद्यालय से सम्बद्ध इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में तृतीय सेमेस्टर में ब्रांच परिवर्तन अथवा विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक सम्बद्ध संस्था से दूसरी सम्बद्ध संस्था में स्थानांतरण के मामले में इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में तृतीय सेमेस्टर में स्थानांतरण के लिए प्रथम सेमेस्टर एवं पंचम सेमेस्टर में स्थानांतरण के लिए प्रथम सेमेस्टर एवं पंचम सेमेस्टर में स्थानांतरण के लिए प्रथम सेमेस्टर एवं तृतीय सेमेस्टर उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता नहीं होगी। बैकलॉग विद्यार्थियों के मेरिट निर्धारण की शर्तें विश्वविद्यालय द्वारा तय की जावेगी।
3	वर्तमान में प्रचलित स्थानांतरण नीति अनुसार :- 4(vii) स्थानांतरण चाहने वाले छात्र को अध्ययनरत संस्था में तथा जिस संस्था में स्थानांतरण चाहता है दोनों संस्थाओं में स्थानांतरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। 4(viii) छात्र के आवेदन पर दोनों संस्थायें अनापत्ति प्रमाण पत्र छात्र को जारी करें। अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप छोड़ने वाली संस्था के लिए T-1 एवं लेने वाली संस्था के लिए T-2 में होना अनिवार्य है।	प्रचलित नीति में निम्न परन्तुक जोड़ा जाता है :- परन्तु किसी संस्था में ब्रांच बंद होने की स्थिति में संस्था के उस ब्रांच के छात्रों के लिए अन्य संस्था में स्थानांतरण हेतु T-1 की अनिवार्यता नहीं रहेंगी। स्थानांतरण नीति की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

  
(नारायण सिंह ठाकुर)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग

... निरंतर ...



OSD (Accl) | OSD (info)  
6 - 21/02/19  
QPS - 21/02/19

OSD (info)  
21/02/19  
01/02/19  
01/02/19  
21/02/19



DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, CHHATTISGARH

संवालनालय तकनीकी शिक्षा उत्तीर्णगढ़  
Indrawati Bhavan, Block-3, 3rd /4th Floor, Naya Raipur - 492002  
इन्द्रावती भवन भूमि-3 गुलीय/घटुथे तल. नया रायपुर 492002

Phone : 0771- 2331330, 2421376, Fax : 2331331, Website : <http://www.cgrotechipur.ac.in>

08 info  
19-9-14

प्रक्रमांक / 2014 / शैक्ष / ८३६९  
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 18/09/2014

कुल सचिव,  
छ.ग.रायागी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय  
नार्थ पार्क एवेन्यु, सेक्टर-8,  
भिलाई, छ.ग।

**विषय:-** राज्य में स्थित तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के ब्रॉच परिवर्तन एवं एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण के संबंध में।

**संदर्भ:-** छ.ग. शासन, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, के पत्र क्र./एफ 9-37/2014/तक.शि./42 नया रायपुर दिनांक 18.09.2014

—00—

विधायांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। जिसमें राज्य शासन एतद् द्वारा, राज्य में स्थित तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के ब्रॉच परिवर्तन एवं एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण के संबंध में पूर्व प्रचलित नीति में संशोधन की सहमति प्रदान की गई है।

अतः शासन से प्राप्त सहमति अनुसार नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

**संलग्न:-** उपरोक्तानुसार।

पृ.क्रमांक / 2014 / शैक्ष / ८३७०  
प्रतिलिपि:-

- समरत प्राचार्य, शासकीय एवं निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय/शासकीय एवं निजी पॉलीटेक्निक संस्थाएँ छ.ग।

आयुक्त सह संचालक  
ए. तकनीकी शिक्षा, छ.ग.  
नया रायपुर, दिनांक 18/09/2014

आयुक्त सह संचालक  
ए. तकनीकी शिक्षा, छ.ग.

JD (Acad.)  
H.1819  
9/2018

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन,**  
**विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग**  
**मंत्रालय, महानन्दी भवन, नया रायपुर**

क्रमांक - एफ 9-37/2014 / तक.शि. / 42

नया रायपुर दिनांक १५-७-२०१५

प्रति

आयुक्त-सह-सचालक  
 तकनीकी शिक्षा छत्तीसगढ़,  
 इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।

**विषय:-** राज्य में रिथत तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के ब्रांच परिवर्तन एवं एक संस्था  
 रो दूसरी संस्था में रथानातरण के संबंध में नीति निर्धारण।

—000—

राज्य शासन, एतद्वारा, राज्य में रिथत तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के ब्रांच  
 परिवर्तन एवं एक संस्था से दूसरी संस्था गे रथानातरण के संबंध में पूर्व प्रचलित नीति में  
 निम्नानुसार संशोधन बाबत् सहमति प्रदान करता है:-

क्र.	पूर्व प्रवलित नीति	संशोधन
1.	एक पॉलीटेक्निक से दूसरे पॉलीटेक्निक में रथानातरण द्वितीय वर्ष में एवं एक इंजीनियरिंग महाविद्यालय रो दूसरे इंजीनियरिंग महाविद्यालय में रथानातरण द्वितीय तथा तृतीय वर्ष में किया जाना उल्लेखित था।	एक पॉलीटेक्निक से दूसरे पॉलीटेक्निक में रथानातरण तृतीय सेमेस्टर में एवं एक इंजीनियरिंग महाविद्यालय से दूसरे इंजीनियरिंग महाविद्यालय में रथानातरण तृतीय एवं पचम सेमेस्टर में किया जाएगा।
2.	अनुत्तीर्ण छात्रों का स्थानातरण और ब्रांच परिवर्तन किया जाना उल्लेखित था।	(1) पॉलीटेक्निकों में तृतीय सेमेस्टर में रथानातरण एवं ब्रांच परिवर्तन किये जाने के लिए छात्र का प्रथम सेमेस्टर में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। (2) इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में तृतीय सेमेस्टर में रथानातरण/ब्रांच परिवर्तन किये जाने के लिए छात्र का प्रथम सेमेस्टर में उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया जाता है और पंचम सेमेस्टर में रथानातरण/ब्रांच परिवर्तन किये जाने के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
3.	रथानातरण के लिए सचालनालय द्वारा रथानातरण प्रमाण पत्र T-3 जारी किया जाता था।	रथानातरण के लिए सचालनालय के स्थान पर विश्वविद्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र T-3 जारी किया जाएगा।
4.	पॉलीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में ब्रांच	(1) पॉलीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में ब्रांच परिवर्तन।

	<p>परिवर्तन/स्थानांतरण किन ब्रांचों में हो सकता है। यह स्पष्ट नहीं था।</p>	<p>स्थानांतरण निम्न ब्रांचों में होगा -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(अ) वीई (बायोटेक्नोलॉजी) पाठ्यक्रम के लिए को छोड़कर अन्य सभी पाठ्यक्रमों में आपसी ब्रांच परिवर्तन होगा।</li> <li>(ब) सिल्पोमा पाठ्यक्रम के लिए Civil/Mechanical/Electrical/Metallurgical/Instrumentation/Mining/Chemical Engineering में आपसी ब्रांच परिवर्तन होगा।</li> <li>(स) डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए Computer Science &amp; Engineering और Information Technology में आपसी ब्रांच परिवर्तन होगा।</li> </ul> <p>(2) पॉलीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में ब्रांच परिवर्तन/स्थानांतरण निम्न ब्रांचों में होगा -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(अ) डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए Electronics &amp; Telecommunication Engineering में/से ब्रांच परिवर्तन नहीं होगा।</li> <li>(ब) नॉन पीपीटी डिप्लोमा, फार्मसी पाठ्यक्रमों तथा स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में ब्रांच परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।</li> </ul> <p>किसी पॉलीटेक्निक या इंजीनियरिंग महाविद्यालय अथवा किसी पाठ्यक्रम के बदल होने की स्थिति में अध्ययनरत छात्रों का अन्यत्र संरक्षा में स्थानांतरण द्वारा समायोजन किया जाएगा।</p> <p>ट्यूशन फीस वेकर एवं Lateral Entry के अंतर्गत प्रवेश स्वीकृत क्षमता के Over and Above किये जाते हैं। अतः इनकी रिक्त रह गई सीटों को स्थानांतरण/ब्रांच परिवर्तन के लिए शामिल नहीं किया जायेगा।</p>
5.		
6.		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

*मुख्यमंत्री*  
(प्रधानमंत्री)  
उप सचिव

दूरभाष :- 0771-2510015

क्रमांक : एफ 9-37 / 2014 / तक.शि. / 42

नथा रायपुर दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय नंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नथा रायपुर
2. निज सहायक, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नथा रायपुर
3. कुल सचिव, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई।
4. प्राधार्य, समर्त शासकीय, निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय एवं पॉलीटक्निक रांस्थाएँ, छत्तीसगढ़
5. मार्टर फाईल

(याकृष्ण खेसस)

उप सचिव

दूरभाष :- 0771-2510015

छत्तीसगढ़ शासन  
प्रशासनीय विभाग, कार्यालय प्रशासनिक  
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  
मुख्यालय, महानगरी भवन, नगा रायपुर

क्रमांक एफ ७-३२ / २०१४ / रका.१३१ / ४२  
मुद्रि.

नगा रायपुर, दिनांक ६ / ८ / २०१५

आयुवत- सह-संचालक  
तकनीकी शिक्षा संचालनालय  
इन्द्रावती भवन, नगा रायपुर

विषय :- तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों के ब्रांच परिवर्तन एवं एक संस्था रो  
दूसरी संस्था में स्थानांतरण के संबंध में नीति में संशोधन बाबत।

—०—

राज्य शासन एतद्वारा विप्रागीय सासंख्यक जादेश दिनांक 18.9.2014 के  
अनुकम्भ में छत्तीसगढ़ स्थानीय विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय गिलाई है पत्र क्रमांक  
/छवावितविधि/प्रशा/ 2015/1946, 1948, एवं 156-R, दिनांक 29.7.2015 द्वारा दी गई  
सहमति अनुसार अन्य राज्य के तकनीकी संस्थाओं से राज्य में संचालित तकनीकी संस्थाओं में  
स्थानांतरण करने एवं बद होने की शिखाहि में अध्ययनरत छात्रों को अन्य संस्थाओं में  
समायोजन करने हेतु तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों के ब्रांच परिवर्तन एवं एक संस्था  
से दूसरी संस्था में स्थानांतरण करने के लिये मूल नीति में संशोधन आवश्यक होना चाहिए।

१. छत्तीसगढ़ राज्य स्थानीय विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय गिलाई है पत्र क्रमांक  
/छवावितविधि/प्रशा/ 2015/1946, 1948, एवं 156-R, दिनांक 29.7.2015 द्वारा दी गई  
सहमति अनुसार अन्य राज्य के तकनीकी संस्थाओं से राज्य में संचालित तकनीकी संस्थाओं में  
स्थानांतरण करने एवं बद होने की शिखाहि में अध्ययनरत छात्रों को अन्य संस्थाओं में  
समायोजन करने हेतु तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों के ब्रांच परिवर्तन एवं एक संस्था  
से दूसरी संस्था में स्थानांतरण करने के लिये मूल नीति में संशोधन आवश्यक होना चाहिए।

२. अन्य राज्यों के छात्रों का प्राथमिकता के बाद अन्य राज्य के छात्रों का मेरिट के आधार  
पर किया जा सकेगा।

३. अन्य राज्यों के छात्रों का एआई  
रीटीई से भान्यता प्राप्त तकनीकी संस्था  
से छ.ग. राज्य में तथा छ.ग. राज्य के  
छात्रों का अन्य राज्यों में स्थानांतरण  
स्थान रिक्त रहने पर उपरोक्त नीति  
अनुसार छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया  
जावेगा।

(i) अन्य राज्यों की एआईसीटीई से  
भान्यता प्राप्त तकनीकी संस्था से छ.ग.  
राज्य की रवशासी - रववित्तीय एवं  
निजी संस्था में स्थान रिक्त होने की  
स्थिति में स्थानांतरण हो सकेंगे।

(ii) अंतर्राज्यीय स्थानांतरण के समय  
छात्रों को पूर्व सेमेस्टर्स की सभी परीक्षाएं  
उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

(iii) स्थानांतरण के लिये छात्र को  
संबंधित दोनों संस्थाओं एवं वर्तमान  
विश्वविद्यालय, जहाँ वह अध्ययनरत है, से  
अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर छत्तीसगढ़  
के संबंधित विश्वविद्यालय में जमा करना  
होगा। वांछित संस्था में वांछित ब्रांच में  
स्थान रिक्त होने की स्थिति में

लाल

छत्तीसगढ़ के संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अनापृता प्रमाण पत्र हेतु तकनीकी शिक्षा रांचालनालय को प्ररताय प्रेपित किया जायेगा। तपनीकी शिक्षा रांचालनालय रो अनापृता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा T-3 जारी किया जायेगा।

(v) अंतर्राज्यीय स्थानांतरण मामलों में विवृद्धि की स्थिति में प्रकरण पर प्रशासकीय विभाग का निर्णय अंतिम होगा।


(vi) राज्य स्तर के स्थानांतरण पश्चात् सीट रिवॉल्ट रहने पर अन्य राज्यों के छात्रों का रथानांतरण उपरोक्त नियमानुसार किया जायेगा। अस्य शासी के छात्रों के स्थानांतरण में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।

2. पूर्व प्रबलित नियम में संस्था बंद होने वाली दशा में अध्ययनरत छात्रों को अन्य संस्था में समायोजन का कोई प्रावधान नहीं है।

छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित तकनीकी संस्था बंद होने की स्थिति में अध्ययनरत छात्रों का छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य तकनीकी संस्था में स्थानांतरण द्वारा समायोजन किया जायेगा। स्थानांतरण अन्य संस्था की रिवॉल्ट सीटों के विरुद्ध विद्यार्थी भी रोमेरटर में लिए जाने को इसका नियम है। इसके अन्तर्गत एक विद्यार्थी के अधिकारी द्वारा उनके पाठ्यशास्त्रों के पाठ्यक्रम परिवर्तन के साथ ये कोई बंधन नहीं होगा। स्थानांतरण द्वारा समायोजन की कार्यवाही नियमित स्थानांतरण संफल्ल होने के पश्चात् की जावेगी। इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व घोषित तिथि में कॉउंसिलिंग आयोजित की जायेगी। कॉउंसिलिंग के लिए ऑरिट निर्धारण की शर्त विश्वविद्यालय द्वारा तय की जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(अमृतलाल लिख्यार)

अवर सचिव

दूरभाष-0771-2510140

- प्रिय दोस्तों का नाम लिखें और उनकी जीवनी लिखें।
1. विजय शर्मा, जाति बड़ौदा, जन्म संलग्न अक्षय कृष्ण, विद्यालय अमृता विजय एवं विद्यालय भूमि विजय एवं विजय  
2. विजय शर्मा जाति बड़ौदा, जन्म संलग्न अक्षय कृष्ण, विद्यालय अमृता विजय एवं विजय भूमि विजय एवं विजय  
3. प्रश्नार्थी रामरत्न शारणीकी (जिल्हा) / इलाहाबाद ज़िल्हा विद्यालय एवं प्रश्नार्थी विजय /  
कानपा घोलीटे विजय संरथाई, उत्तरीरामगढ़  
4. पारदर फाईल लकड़ीकी शिक्षा विभाग  
सूचनार्थी आवश्यक विवरणही हेतु।

(अमृतलाल जिरवार)

अवर रामगढ़

फ़ोन: 0771-2610140

## तकनीकी शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़

विषय:- तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों के ब्रांच परिवर्तन एवं एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण के संबंध में नीति निर्धारण । (संशोधित)

...00...

तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों का उसी संस्था में ब्रांच परिवर्तन एवं एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण के संबंध में नीति निर्धारित किया जाता है ।

- (1) संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों के ब्रांच परिवर्तन  
पॉलीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालय दोनों के लिये -
- (i) कार्डिसिलिंग द्वारा प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों की ब्रांच परिवर्तन के संबंध में कार्यवाही रथान रिक्त होने पर ही पी.ई.टी./पी.पी.टी. के नियम के अनुसार संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा की जायेगी। जिन ब्रांचों में प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम एक समान नहीं है, उन ब्रांचों में आपसी परिवर्तन भी संस्था के प्राचार्यों द्वारा की जा सकेगी। तथापि ऐसे मामले में छात्र को परिवर्तित ब्रांच के विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार अतिरिक्त विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा! इस संबंध में छात्र से एक घोषणा पत्र (Undertaking) लेना होगा जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख हो कि छात्र नये ब्रांच में जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उस नये ब्रांच के पाठ्यक्रम (Syllabus) के अनुसार अतिरिक्त विषयों की परीक्षा उत्तीर्ण करने की जिम्मेदारी उसकी स्वयं की रहेगी।
- (ii) जिन ब्रांचों में प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम एक समान है, उनमें द्वितीय वर्ष (द्वितीय सेमेस्टर) में रिक्त स्थान उपलब्ध होने पर ब्रांच परिवर्तन प्रथम वर्ष की परीक्षा में प्राप्तिक्रमों के अधार पर संस्था/संस्थाओं स्तर पर ही किया जा सकेगा। रिक्त स्थान की गणना के लिये दस्तावेज़ एवं/ अथवा लेटरल एण्ट्री की रिक्त सीटों को नहीं लिया जायेगा।
- (iii) ब्रांच परिवर्तन हेतु विश्वविद्यालय को सूचित करने की जवाबदारी संचालनालय एवं संबंधित महाविद्यालय की होगी।
- शासकीय इंजीनियरिंग/पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में ब्रांच परिवर्तन की कार्यवाही के लिए सत्र में प्रवेशित छात्रों की प्रथम वर्ष की परीक्षा के उपरांत उन्हें इस आशय वी सूचना देकर उनसे आवेदन पत्र प्राप्त करें, एवं नये सत्र में कक्षाएं प्रारंभ होने के पूर्व ही ब्रांच परिवर्तन की सूची मेरिट के अनुसार संचालक की अनुमति से जारी करें।
- 2 (अ) एक तकनीकी संस्था से दूसरी तकनीकी संस्था में स्थानांतरण (इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं फार्मेसी संस्थाओं हेतु) ।  
प्रथम वर्ष एवं अंतिम वर्ष में स्थानांतरण का प्रावधान नहीं रहेगा (डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम में द्वितीय सेमेस्टर में स्थानांतरण का प्रावधान रहेगा)। स्थानांतरण केवल द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में ही केवल स्थान रिक्त होने पर किये जा सकेंगे। स्थानांतरण का प्रावधान शिक्षानालय रहेगा।
- 2(अ).1. एक शासकीय तकनीकी संस्था से दूसरी शासकीय तकनीकी संस्था स्वशासी-स्ववित्तीय संस्था अथवा निजी संस्था में स्थानांतरण हो सकेंगे।  
2(अ).2. एक स्वशासी-स्ववित्तीय संस्था से निजी तकनीकी संस्था में स्थानांतरण हो सकेंगे परन्तु शासकीय संस्था भें स्थानांतरण का प्रावधान नहीं रहेगा।  
2(अ).3. एक निजी संस्था से अन्य निजी संस्था में स्थानांतरण डॉ. अवै. एवं एस. स्वशासी-स्ववित्तीय संस्था एवं शासकीय तकनीकी संस्था में स्थानांतरण का प्रावधान नहीं रहेगा।

*SPWam*

2(अ) 4. स्थानांतरण के लिये आवश्यकता -

- 4(i) जिस संस्था में स्थानांतरण मांगा जा रहा है वहाँ रिक्त स्थान होने पर ही स्थानांतरण किया जा सकेगा। द्यूमुखी फी वेब्हर एवं लेटरल एण्ट्री के कारण रिक्त रह गई सीटों को रिक्त सीट की गणना में नहीं लिया जाना है।
- 4(ii) स्थानांतरण उसी ब्रांच में किया जा सकेगा जिसमें पूर्व कक्षाओं की परीक्षा उत्तीर्ण की होगी। तथापि ब्रांच परिवर्तन के साथ स्थानांतरण भी हो सकेंगे, परंतु इसके लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार अतिरिक्त विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में छात्र से एक घोषणा पत्र (Undertaking) लेना होगा जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख हो कि छात्र नये ब्रांच में जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उस नये ब्रांच के पाठ्यक्रम (Syllabus) के अनुसार अतिरिक्त विषयों की परीक्षा उत्तीर्ण करने की जिम्मेदारी छात्र की स्वयं की रहेगी।
- 4(iii) स्थानांतरण इंजीनियरिंग में द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तक रिक्त स्थान उपलब्ध होने पर किया जा सकेगा।
- 4(iv) संबंधित संस्थाओं के प्राचार्यों की अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक होगी।
- 4(v) छ.ग. स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई, ७०८० को सूचना दिया जाना आवश्यक होगा।
- 4(vi) यदि किसी संस्था में स्थानांतरण चाहने वाले छात्रों की संख्या उस संस्था में संबंधित ब्रांच में उपलब्ध रिक्त स्थानों की संख्यां से अधिक होगी तो स्थानांतरण पूर्व वर्ष की परीक्षा में प्राप्तांकों के भेरिट के आधार पर ही किया जा सकेगा।
- 4(vii) स्थानांतरण चाहने वाले छात्र को अध्ययनरत संस्था में तथा जिस संस्था में स्थानांतरण चाहता है दोनों संस्थाओं में स्थानांतरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र ग्राप्त करना होगा।
- 4(viii) छात्र के आवेदन पर दोनों संस्थायें अनापत्ति प्रमाण पत्र छात्र को जारी करेंगे। अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप छोड़ने वाली संस्था के लिये T-1 एवं लेने वाली संस्था के लिये T-2 में होना अनिवार्य है।
- 4(ix) प्रारूप T-1 एवं T-2 में जारी दोनों अनापत्ति प्रमाण पत्र को लेकर छात्र संचालनालय तकनीकी शिक्षा में स्थानांतरण हेतु लिखित आवेदन करेगा।
- 4(x) संचालनालय द्वारा प्रकरण पर आवश्यकतानुसार जांच किया जा सकता है अथवा दिना कारण बताये आवेदन को अमान्य भी किया जा सकता है। संतुष्ट हो जाने पर छात्र को संचालनालय द्वारा भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रारूप T-3 में जारी किया जायेगा।
- 4(xi) उपरोक्त तीनों अनापत्ति प्रमाण पत्र के पश्चात् ही छोड़ने वाली संस्था छात्र को स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी कर सकेगी एवं लेने वाली संस्था प्रवेश दे सकेगी। इसकी सूचना संस्थाओं को विश्वविद्यालय में देना अनिवार्य होगा।
- 2(अ) 5. अन्य राज्यों की AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थाओं से छ.ग. राज्य की किसी तकनीकी संस्था में स्थानांतरण (इंजीनियरिंग एवं फार्मेसी)
- 5(i) अन्य राज्यों की शासकीय तकनीकी संस्था से छ.ग. राज्य के शासकीय संस्था में स्थानांतरण रिक्त स्थानों पर छ.ग. ०८०० राज्य के छात्रों की प्राथमिकता के बाद अन्य राज्य के छात्रों द्वारा भेरिट के आधार पर किया जा सकेगा।
- 5(ii) अन्य राज्यों के छात्रों का एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्था से छ.ग. राज्य में स्थानांतरण रिक्त स्थान रहने पर उपरोक्त नियम अनुसार छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जावेगा।

गोपनीय

- 2 (ब) एक तकनीकी संस्था से दूसरी तकनीकी संस्था में स्थानांतरण (पॉलीटेक्निक के लिये)
- प्रथम वर्ष में स्थानांतरण पी.पी.टी. नियम अनुसार प्रत्येक संस्था में केवल 04 स्थानांतरण शासन की अनुमति के पश्चात् किये जा सकेंगे। इसके लिये स्थान रिक्त होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये स्थानांतरण प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त Over & above रहेंगे। द्वितीय वर्ष में स्थानांतरण केवल स्थान रिक्त रहने पर ही किये जा सकेंगे। अंतिम वर्ष में स्थानांतरण का प्रावधान निम्नानुसार रहेगा :—
- 2(ब)1. एक शासकीय तकनीकी संस्था से दूसरी शासकीय तकनीकी संस्था अथवा निजी संस्था में स्थानांतरण हो सकेंगे।
- 2(ब)2. एक निजी संस्था से अन्य निजी संस्था में स्थानांतरण हो सकेंगे परंतु शासकीय तकनीकी संस्था में स्थानांतरण का प्रावधान नहीं रहेगा।
- 2(ब)3. स्थानांतरण के लिये आवश्यकता —
- 3(i) जिस संस्था में स्थानांतरण मांगा जा रहा है वहाँ द्वितीय दर्द हेतु स्थान रिक्त होने पर ही स्थानांतरण किया जा सकेगा। ट्यूशन फी बेहर एवं लेटरल एण्ट्री के कारण रिक्त रह गई सीटों को रिक्त सीट की गणना में नहीं लिया जाना है।
- 3(ii) स्थानांतरण उसी ब्रांच में किया जा सकेगा जिसमें पूर्व कक्षाओं की परीक्षा उत्तीर्ण की होगी। तथापि ब्रांच परिवर्तन के साथ स्थानांतरण भी हो सकेंगे, परंतु इसके लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार अतिरिक्त विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में छात्र से एक घोषणा पत्र (Undertaking) लेना होगा जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख हो कि छात्र नये ब्रांच में जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उस नये ब्रांच के पाठ्यक्रम (Syllabus) के अनुसार अतिरिक्त विषयों की परीक्षा उत्तीर्ण करने की जिम्मेदारी छात्र की स्वयं भी रहेगी।
- 3(iii) स्थानांतरण प्रथम वर्ष में प्रत्येक संस्था में केवल 04 स्थानांतरण (स्थान रिक्त न होने पर भी) तथा द्वितीय वर्ष में रिक्त स्थान उपलब्ध होने पर किया जा सकेगा।
- 3(iv) द्वितीय वर्ष में स्थानांतरण के लिये संबंधित संस्थाओं के प्राचार्यों की अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक होगी।
- 3(v) छ.ग. स्यामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई, ४०३० को सूचना दिया जाना आवश्यक होगा।
- 3(vi) यदि किसी संस्था में स्थानांतरण चाहने वाले छात्रों की संख्या उस संस्था में संबंधित ब्रांच में उपलब्ध रिक्त स्थानों की संख्या से अधिक होगी तो स्थानांतरण पूर्व वर्ष की परीक्षा में प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर ही किया जा सकेगा।
- 3(vii) स्थानांतरण चाहने वाले छात्र को अध्ययनरत संस्था में तथा जिस संस्था में स्थानांतरण चाहता है दोनों संस्थाओं में स्थानांतरण हेतु लिखित आवेदन करना होगा।
- 3(viii) छात्र के आवेदन पर दोनों संस्थायें अनापत्ति प्रमाण पत्र छात्र को जारी करेंगे अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में छोड़ने वाली संस्था के लिये प्रारूप T-1 एवं लेने वाली संस्था के लिये प्रारूप T-2 में होना अनिवार्य है।
- 3(ix) प्रारूप T-1 एवं T-2 में जारी दोनों अनापत्ति प्रमाण पत्र को लेकर छात्र संचालनालय तकनीकी शिक्षा में रथानांतरण हेतु लिखित आवेदन करेगा।
- 3(x) संचालनालय द्वारा प्रकरण पर आवश्यकतानुसार जांच किया जा सकता है अथवा विना कारण बताये आवेदन को अमान्य भी किया जा सकता है। संतुष्ट हो जाने पर छात्र को संचालनालय द्वारा भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रारूप T-3 में जारी किया जायेगा।
- 3(xi) उपरोक्त तीनों अनापत्ति प्रमाण पत्र के पश्चात् ही छोड़ने वाली संस्था छात्र को स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी कर सकेगी एवं लेने वाली संस्था प्रवेश दे सकेगी। इसकी सूचना शास्त्रांकों को विश्वविद्यालय में देना अनिवार्य होगा।

*SDMWS*

2(b)4. अन्य राज्यों की तकनीकी संस्थाओं से छ.ग. राज्य की किसी तकनीकी संरक्षा में स्थानांतरण (पॉलीटेक्निक)

- 4(i) अन्य राज्यों की शासकीय तकनीकी संरक्षा से छ.ग. राज्य के शासकीय संस्था में स्थानांतरण रिक्त स्थानों पर छ0ग0 राज्य के छात्रों की प्राथमिकता के बाद अन्य राज्य के छात्रों का मेरिट के आधार पर किया जा सकेगा।
- 4(ii) अन्य राज्यों के छात्रों का एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त तकनीकी संरक्षा से छ.ग. राज्यों में तथा छ0ग0 राज्य के छात्रों का अन्य राज्यों में स्थानांतरण स्थान रिक्त रहने पर उपरोक्त निम्न अनुसार छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जावेगा।

टीप :-

1. किसी भी प्रकार के स्थानांतरण में होने वाली तकनीकी समस्याओं के लिये छत्तीसगढ़ शासन का निर्णय अंतिम होगा।
2. स्थानांतरण का प्रावधान विद्यार्थियों की सुविधा के लिये है। इसे अधिकार के रूप में ना लिया जाये। किसी भी आवेदन को अमान्य किये जाने का अधिकार संचालक, तकनीकी शिक्षा/प्रशासकीय विभाग/विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा।
3. यदि किसी छात्र को किसी संरक्षा, किसी ब्रांच के लिये द्यूशन फी द्वेष्टर मिल रही हो तो अन्य संरक्षा में स्थानांतरण अथवा उसी संरक्षा में ब्रांच परिवर्तन के कारण उसे इसकी पात्रता नहीं रहेगी।
4. संरक्षाओं/संचालनालय/विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये जाने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है।
5. उसी संरक्षा में ब्रांच परिवर्तन करने के संबंध में संपूर्ण कार्यदाही विवरण जैसे समस्त छात्रों को रिक्त सीटों के बारे में सूचित करना, उनसे आवेदन प्राप्त करना, ब्रांच परिवर्तन के लिये समिति गठित करना, आवेदनों की मेरिट के अनुसार स्कूटनी करना, संरक्षा प्राचार्य से अनुमोदन प्राप्त करना एवं ब्रांच परिवर्तन के आदेश जारी करना आदि समस्त दस्तावेज संस्था में सुरक्षित रखे जायें। आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय निरीक्षण हेतु दस्तावेज संचालनालय तकनीकी शिक्षा में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

संचालक  
तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़  
रायपुर